झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
त्रयोदश – सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शनिवार, दिनांक 30 आसाढ़, 1940 (श0) ..... को 21 जुलाई, 2018 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
174.	ग0–11	श्रीमती सीमा देवी	भवन का निर्माण	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	11.7.18
175.	ग0–06	श्री नागेन्द्र महतो	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	" "	09.7.18
176.	ग0–15	श्रीमती बिमला प्रधान	मुआवजा देना	" "	13.7.18
177.	ग0–16	श्री जानकी प्र0 यादव	थाना भवन का निर्माण	" "	13.7.18
178.	का0–09	श्री नलिन सोरेन	प्रोन्नति देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा।	10.7.18
179.	ग0–13	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	मुआवजा का भुगतान	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	11.7.18

कृ0पृ030–

01	02	03	04	05	06
180.	का0-01	श्री अमित कु0 मंडल	जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।	06.7.18
181.	ग0-09	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की की नियुक्ति।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	10.7.18
182.	का-11	श्री पौलुस सुरीन	अनुमण्डल बनाना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा वि0	11.7.18
183.	ग0-19	श्री पौलुस सुरीन	थाना स्थापित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	14.7.18
184.	ग0-17	श्री जानकी प्र0 यादव	ओ0पी0 स्थापित करना।	" "	13.7.18
185.	का0-04	श्री रामकुमार पाहन	अनुमण्डल बनाना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा वि0	09.7.18
186.	ग0- 12	श्री आलमगीर आलम	चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	11.7.18
187.	ग0-14	श्री अरूप चटर्जी	ओ0पी0 का निर्माण।	" "	12.7.18
188.	ग0-05	श्री प्रकाश राम	नौकरी देना।	" "	09.7.18
189.	ग0-08	श्री साधुचरण महतो	आरोपी की गिरफ्तारी।	" "	10.7.18
190.	का0-07	श्री फूलचन्द मंडल	अनुसूचित जाति का दर्जा देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा।	09.7.18
191.	का0-10	श्री साधुचरण महतो	उम्र सीमा में छूट	" "	10.7.18
192.	का0-12	श्री आलोक कुमार चौरसिया	नियुक्ति करना।	" "	14.7.18

कृ0पृ030-

01	02	03	04	05	06
193.	का0-03	श्री कुणाल षड़ंगी	जिला एवं अनुमंडल बनाना।	प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा वि0।	08.7.18
194.	का0- 08	श्री योगेश्वर महतो	प्रखण्ड बनाना	" "	09.7.18
195.	योवि0-01	श्री राधाकृष्ण किशोर	निर्धारित लक्ष्य पूरा करना।	योजना सह वित्त।	09.7.18
196.	ग0-01	श्री जगरनाथ महतो	अपराधियों को गिरफ्तार करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	08.7.18
197	ग0-02	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टान	पंचायत को थाना में सम्मिलित करना।	" "	08.7.18
198.	ग0-18	श्री राज सिन्हा	स्थानान्तरण करना।	" "	14.7.18
199.	ग0-04	श्री अरूप चटर्जी	ट्राफिक पुलिस की व्यवस्था।	" "	08.7.18
200.	का0-05	श्री रामकुमार पाहन	आरक्षण का लाभ देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	09.7.18
201.	यो0वि0-02	डॉ0 इरफान अंसारी	पेंशन लागू करना।	योजना सह वित्त।	12.7.18
202.	का0-02	श्री कुणाल षड़ंगी	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा विभाग।	08.7.18
203.	म0-01	श्रीमती बिमला प्रधान	सातवाँ वेतनमान प्रदान करना।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय	10.7.18
204.	का0-06	श्री फूलचन्द मंडल	नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	09.07.18
205-	ग0-03	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पुलिस पिकेट स्थापित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	08.7.18

कृ0पृ030-

01	02	03	04	05	06
206.	ग0-10	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	आपदा प्रबंधन की सूची में शामिल करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.7.18
207.	ग0-07	श्री दशरथ गागराई	मुआवजा देना।	" "	09.7.18

राँची
दिनांक- 21 जुलाई, 2018 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-03/2015 ...3260.../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/07/18

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/07/18
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-03/2015 ...3260.../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/07/18

प्रति :- मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान-सभा, को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/07/18
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-03/2015 ...3260.../वि0स0, राँची, दिनांक- 16/07/18

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
16/07/18
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

16.07.18

174

श्रीमती सीमा देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय विज्ञापन 433, दिनांक–22.01.2017 द्वारा संसूचित है कि मुरी ओ०पी० के लिए भवन निर्माण हेतु सरकारी भूमि हस्तानांतरण के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा उपायुक्त, राँची से अनुरोध किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त ओ०पी० के लिए सरकारी भूमि की नापी हो गयी है परन्तु अब तक ओ०पी० निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ओ०पी० की निर्माण वित्तीय वर्ष वर्त्तमान 2018–19 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	केन्द्र प्रायोजित पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत "Special Infrastructure Scheme (SIS), including Construction of Fortified Police Stations in LWE Districts" के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के झारखण्ड राज्य का कार्य योजना प्रस्ताव को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत राँची जिला के मुरी थाना का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसे वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृति प्रदान करने की योजना है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स०–1002 / 2018–3911 / राँची, दिनांक–19 /07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3145, दिनांक–11.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

संरकार के संयुक्त सचिव।

(175)

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत ग्राम–मोकामों में 70 वर्ष पुरानी विश्वकर्मा देव जी के अर्धनिर्मित मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु श्रद्धालुगणों की भीड़ एकत्रित हुई थी जहाँ दिनांक–17.06.2018 को बेवजह तनाव बताते हुए प्रशासन द्वारा लोगों पर लाठीचार्ज, आंसु गैस के गोले बरसाने के साथ–साथ गोली चलाई गई है तथा FIR सं०–सरिया–88/18 दर्ज कर दोनों समुदायों के लगभग 100 (एक सौ) व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सरिया थाना अंतर्गत ग्राम–मोकामो में कई वर्ष पुरानी विश्वकर्मा देव की अर्धनिर्मित मंदिर बासुदेव मिस्त्री, पे०–स्व० जानकी बढ़ई के जमीन पर बताया जाता है, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट, चौड़ाई करीब 10 फीट एवं उंचाई करीब 4.5 फीट है। इसी मंदिर के निर्माण हेतु हिन्दु समुदाय के लोगों ने दिनांक–17.06.2018 को खुली घोषणा की थी, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे। उपरोक्त परिपेक्ष्य में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि FIR-88/18 सरिया थाना में "भीषण दंगा" अंकित किया गया है जबकि घटना स्थल पर न तो तनाव था और न ही दोनों समुदायों में कोई संघर्ष हुआ था ;	अस्वीकारात्मक। घटनास्थल पर दोनों सम्प्रदाय के लोगों में काफी तनाव था एवं दोनों समुदाय के लोगों के बीच भीषण संघर्ष होने की प्रबल संभावना थी। स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरे सूझ–बूझ एवं धैर्य का परिचय देते हुए हरवे हथियार से लैश उग्र भीड़ को नियंत्रित किया गया तथा दोनों समुदाय के बीच साम्प्रदायिक सदभाव बिगड़ने से बचाया गया।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय पर संज्ञान लेते हुए घटना की सत्यता जांचने तथा मामले को जबरन भड़काने के दोषी प्रशासनिक पदाधिकारियों सह सूचक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–13/2018–3910./ राँची, दिनांक–19/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3063, दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के चलकुशा थाना का अपना भवन नहीं है, जिससे थाना कर्मियों एवं स्थानीय लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चलकुशा में अत्याधुनिक थाना भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	केन्द्र प्रायोजित पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत "Special Infrastructure Scheme (SIS), including Construction of Fortified Police Stations in LWE Districts" के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के झारखण्ड राज्य का कार्य योजना प्रस्ताव को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत हजारीबाग जिला के चलकुशा थाना का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसे वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृति प्रदान करने की योजना है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स०–1003 / 2018–3908 / राँची, दिनांक–19 / 07 / 2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3235, दिनांक–13.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

(178)

श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.07.2018 को सदन में पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या–का0–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डॉक्टरों की प्रोन्नति पूर्व में कभी नहीं होने के बावजूद प्रोन्नति के कालवधि को शिथिल करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा मात्र चिकित्सकों के लिए अलग से आदेश पारित कराकर एक ही वर्ष में सारी प्रोन्नतियाँ, निदेशक प्रमुख तक से दे दी गई।	स्वीकारात्मक है। राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से निर्गत संकल्प ज्ञापांक–1400(3) दिनांक–12.11.2015 के आलोक में राज्य के स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारियों को एक सम्व्यवहार के लिए प्रोन्नति की कालावधि में छूट दिया गया है।
2	क्या यह भी बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग में औषधि नियंत्रण निदेशालय के पदाधिकारियों को आज तक कोई भी प्रोन्नति नहीं दी गई है।	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुतः ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 के तहत औषधि नियंत्रण निदेशालय के पदाधिकारियों को वित्तीय उत्क्रमण का लाभ दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चिकित्सा संवर्ग के डॉक्टरों की भांति सभी योग्य औषधि निरीक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति की अवधि को शिथिल करते हुए प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों की भांति सभी औषधि निरीक्षकों को भी प्रोन्नति में कालावधि के शिथिलीकरण का प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सहमति हेतु भेजा गया था परन्तु उनके द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी है। ऐसी स्थिति में औषधि निरीक्षकों की प्रोन्नति का मामला कालावधि के सामान्य प्रावधानों के तहत विचारणीय होगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–16 / वि0स0 (तारांकित)–13–04 / 2018 111(16) स्वा / राँची, दिनांक 19.07.2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3104 दिनांक–10.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

19.7.2018
सरकार के अवर सचिव।

179

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.07.2018
को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–13 का उत्तर

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता</th><th>उत्तरदाता</th></tr>
<tr><td>श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स०वि०स०</td><td>श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)</td></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि 2016 में राँची जिलान्तर्गत बेड़ो प्रखण्ड के पुरियों पंचायत और बेड़ों में तेज आँधी तूफान से सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गया था पीड़ित परिवार द्वारा प्रखण्ड कार्यालय में मुआवजा हेतु आवेदन जमा कराया गया है, परन्तु मुआवजा का भुगतान अबतक नहीं किया गया है ;</td><td>उपायुक्त, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आंधी–तूफान/वर्षापात/ओलावृष्टि से मकानों एवं फसलों से हुए क्षति से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>क्षतिपूर्ति का प्रकार</th><th>प्रभावित परिवारों की सं०</th><th>भुगतान की गई राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ओलावृष्टि एवं वर्षा से फसल क्षतिपूर्ति</td><td>295</td><td>11,72,623.50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वर्षापात से मकान की क्षतिपूर्ति</td><td>211</td><td>6,75,200.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आंधी–तूफान से मकान क्षतिपूर्ति</td><td>12</td><td>38,400.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों के पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>कंडिका–2 में उल्लेखित।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–18/2018-685...../आ०प्र०, राँची, दिनांक–20/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–3147, दिनांक–11.07.2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव कोषांग/श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/18
सरकार के विशेष सचिव

(88)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–का०–01 की प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि श्री रविन्द्र चौधरी, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी) गोड्डा के विरूद्ध परिवाद के आलोक में विभागीय पत्रांक–5/आरोप–1–17/2018 का0–2646 दिनांक 20.04.2018 को झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उपायुक्त गोड्डा को जाँचकर, जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है;	स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–1467, दिनांक 23.02.2018 द्वारा श्री रविन्द्र चौधरी, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी) गोड्डा के विरूद्ध परिवाद पर उपायुक्त, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी है। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक–2646, दिनांक 20.04.2018 द्वारा स्मारित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त गोड्डा को दो स्मार पत्र भेजे जाने के बावजूद वांछित जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वांछित जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक–5133, दिनांक 11.07.2018 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को स्मारित करते हुए 15 दिनों के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत समीक्षोपरांत समुचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–5/विविध(आरोप)–3–6/2018 का०–5370/राँची, दिनांक 18 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 2964 वि.स. दिनांक 06.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.7.18

(सतीश कुमार जायसवाल)
सरकार के उप सचिव।

(181)

श्री निर्भय शहबादी, माननीय सदस्य , विधान सभा , झारखंड द्वारा दि-21.07.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ग-09 का उत्तर सामग्री

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–24 के तहत झारखण्ड उच्च न्यायालय के साथ–साथ जिला व्यवहार न्यायालयों एवं सभी अनुमंडल व्यवहार न्यायालयों में अधिवक्ता वर्ग से लोक–अभियोजक एवं अपर लोक–अभियोजकों के पद पर नियुक्ति से संबंधित गजट विधि विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक–19.02.2018 को प्रकाशित कर दी गई है ;	:–	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित गजट के प्रकाशित होने के बावजूद राज्य में अबतक उक्त पद पर नियुक्ति से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ;	:–	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सहीं है कि राज्य के सभी जिला व अनुमंडल व्यवहार न्यायालयों में अधिवक्ता वर्ग से पूर्व में नियुक्त खण्ड–01 में वर्णित पदों का कार्यकाल समाप्त हो चुकी है ;	:–	विधि विभाग के स्तर से राज्य के सभी जिला एवं अनुमण्डल अधिवक्ता वर्ग से कोई लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के अधिवक्ताओं के हित में एक माह के अन्दर राज्य के सभी जिलों से योग्य व आहर्त्ता प्राप्त अधिवक्ताओं की सूची मांग कर नियुक्ति का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	:–	Jharkhand Law officer(engagement) Rule,2018 16 फरवरी, 2018 को बनी है। अभी तक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू नही है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

ज्ञापांक–ए0/विधि–(वि0स0प्र0)–08/2018– 2068 /जे0, राँची, दिनांक– 19 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को ज्ञाप सं0–3099/वि0स0, दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

19.7.2018

(संजय प्रसाद)
प्रधान सचिव –सह–विधि परामर्शी।

182

माननीय स०वि०स० श्री पौलुस सुरीन द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–11 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिले के बानो प्रखण्ड की आबादी अधिक होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में असुविधा होती है, तथा यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;	अस्वीकारात्मक। जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिले की कुल आबादी 599578 है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 37612 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार जिले का घनत्व 159.41 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सिमडेगा जिले में कुल 10 प्रखण्ड/अंचल है। सिमडेगा में जिला एवं अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा, जलडेगा एवं बानो प्रखण्डों को मिलाकर बानो अनुमंडल सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोलेबिरा, जलडेगा एवं बानो प्रखण्ड मिलाकर बानो को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–20/2018 का०–5387/राँची, दिनांक–18.7.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3144 दिनांक–11.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18
(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(183)

श्री पौलुस सुरीन, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत प्रखण्ड बानों अति उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ बराबर उग्रवादी घटना घटती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला के बानो थानान्तर्गत वर्ष 2017 में कुल 12(बारह) नक्सल कांड दर्ज हुए हैं, जबकि वर्ष 2017 की तुलना में 2018 में दिनांक–13.07.18 तक कुल 04 (चार) नक्सल कांड प्रतिवेदित हुए हैं।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड बानों के बुरूईरगी में बेड़ाईरगी C.R.P.F कैंप एवं हाटिंगहोड़े में थाना स्थापित करने हेतु ग्रामिणों द्वारा बार–बार मांग की जा रही है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में बानो प्रखण्ड के बुरूईरगी में बेड़ाईरगी C.R.P.F कैंप एवं हाटिंगहोड़े में थाना स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति बानो प्रखण्ड के बुरूईरगी में बेड़ाईरगी C.R.P.F कैंप एवं हाटिंगहोड़े में थाना स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–24 / 2018–4114 / राँची, दिनांक– 20/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3241, दिनांक–14.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

(184)

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिले के जयनगर थाना के महुआगढ़ संवेदनशील स्थान होने के कारण स्थानीय जनता की सुरक्षा के लिए यहाँ पूर्व से पुलिस पिकेट है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोडरमा जिला के जयनगर थानान्तर्गत महुआगढ़ में स्थानीय जनता की सुरक्षा के लिए महुआगढ़ से 01 किलोमीटर की दूरी पर अलखडीहा (खरियोडीह) पुलिस पिकेट पूर्व से स्थापित है।
2	क्या यह बात सही है कि महुआगढ़ में स्थायी थाना या ओ०पी० खोलने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा बराबर किया जाता रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महुआगढ़ में थाना अथवा ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति महुआगढ़ में थाना अथवा ओ०पी० खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–23 / 2018–411 / राँची, दिनांक–20/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3233, दिनांक–13.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

(185)

माननीय स०वि०स० श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–04 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के टाटीसिलवे, अनगड़ा, सिकिदीरी, राहे, सिल्ली थानों को मिलाकर अनगड़ा अनुमण्डल बनाने की माँग यहाँ की जनता द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अनगड़ा अनुमण्डल बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है;	अस्वीकारात्मक। नये अनुमण्डल का सृजन संबंधित उपायुक्त, एवं संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति की बैठक में रखा जाता है, तदोपरान्त उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकेगा। राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा को अनुमण्डल का दर्जा देने के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंण्डल, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनगड़ा को अनुमण्डल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–14/2018 का०–5390 /राँची, दिनांक–18.7.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3068 दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18
(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

186

श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में संवेदकों के चरित्र प्रमाण–पत्र बनाने के लिए संवेदक के चरित्र का Verification केवल गृह थाना द्वारा किये जाने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला में संवेदकों का चरित्र प्रमाण–पत्र बनाने के लिए संवेदक के चरित्र का Verification जिला के सभी थाना से कराये जाने के कारण चरित्र प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध नहीं होने से संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित हो रहे है ;	पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचनानुसार संवेदकों के द्वारा समर्पित चरित्र सत्यापन हेतु आवेदन उनके गृह थाना से प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। परन्तु आवश्यकतानुसार पुलिस प्रशासन द्वारा जिले के थानों से भी वितंतु के माध्यम से इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी एकत्र कर चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों की तरह साहेबगंज में भी संवेदकों के चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए संवेदक के चरित्र का Verification निर्धारित प्रावधान के तहत् केवल गृह थाना से ही कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14 / वि०स०–02 / 2018–4109 / राँची, दिनांक– 20/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3146, दिनांक–11.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

187

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–14 का उत्तर

प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा अंतर्गत बरबेदिया, बेलडांगा इलाका तथा मैथन पावर लि० के बाहर आये दिन धरना प्रदर्शन करने से आवागमन बाधित रहता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बरबेदिया, बेलडांगा ईलाका के सीमा क्षेत्र में पुलिस आउट पोस्ट नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी पेरशानी होती है ;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड अंतर्गत बरबेदिया, बेलडांगा ईलाका के सीमा क्षेत्र में निरसा थाना के स्तर से सतत निगरानी रखी जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रशासनिक व कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए बरबेदिया, बेलडांग में पुलिस आउट पोस्ट का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति धनबाद जिलान्तर्गत निरसा थाना के क्षेत्र में मैथन पावर लिमिटेड आउट पोस्ट स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14 / वि०स०–25 / 2018– 4112 / राँची, दिनांक–20 / 07 / 2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3207, दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

188

श्री प्रकाश राम, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत चन्दवा प्रखण्ड के ग्राम बारी, टोला–हुचलु के मो० मजबुल अंसारी, पिता स्व० मो० क्यूम अंसारी को दिनांक–09.12.1999 को लातेहार थाना अंतर्गत जगलदगा के पास संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के उग्रवादियों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिससे इनका हाथ काटना पड़ा ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त घटना लातेहार थाना कांड सं०–138/99, दिनांक–09.12.1999 द्वारा दर्ज भी की गई है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि मो० मजबूल इंटर उत्तीर्ण है तथा विकलांगता के कारण अपने परिवार का पालन–पोषण करने में असमर्थ है ;	मो० मजबूल अंसारी इंटर उत्तीर्ण हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मो० मजबूल अंसारी को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	संदर्भित घटना झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व वर्ष 1999 का है। विभागीय संकल्प सं०–2279, दिनांक–07.05.2003 (छाया प्रति संलग्न) एवं संकल्प सं०–2598, दिनांक–09.06.2011 (छाया प्रति संलग्न) के प्रावधानानुसार उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ झारखण्ड गठन की तिथि यथा दिनांक–15.11.2000 से प्रभावी है। घायल व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी अनुमान्य नही है। तदनुसार मो० मजबूल अंसारी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देय नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02)–04/2018–4012/ राँची, दिनांक– 18/07/ ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3065, दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

(189)

श्री साधुचरण महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला अंतर्गत नीमडीह थाना में दिनांक–22.02.2018 को श्री मदन सिंह सरदार द्वारा श्री दिपु कुमार, भू–अर्जन पदाधिकारी सरायकेला के विरूद्ध ST/SC Actrocities Act 1989 के धारा 3(1) (r) एवं भा०द०वि० के धारा 504–506 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है, शिकायत पर नीमडीह थाना काण्ड सं०–12/18, दिनांक–22.03.2018 दर्ज होने के बावजूद अब तक श्री दिपु कुमार के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गइ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरायकेला–खरसावां जिला के नीमडीह थानान्तर्गत दिनांक–22.02.2018 को श्री मदन सिंह सरदार के लिखित आवेदन के आधार पर श्री दीपू कुमार, भू–अर्जन पदाधिकारी सरायकेला के विरूद्ध नीमडीह थाना काण्ड संख्या–12/2018, दिनांक–22.02.2018, धारा–504/506 भा०द०वि० एवं 3(1) (x) ST/SC Act के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उक्त काण्ड में अंतिम प्रतिवेदन सं०–16/2018, दिनांक–31.03.2018 असत्य समर्पित किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आरोपी श्री दिपु कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–14/2018–3909../ राँची, दिनांक–19/07/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3101, दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

(190)

माननीय स0वि0स0, श्री फूलचंद मंडल द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में सुंड़ी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है;	स्वीकारात्मक। पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 57 पर सूंड़ी (Sunri, excluding Saha) दर्ज है।
02.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल के सूंड़ी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में दर्ज करने हेतु भारत सरकार का संशोधित अधिसूचना दिनांक–27 जुलाई 1977 को हुआ, जो भारत सरकार के गजट में पृष्ट सं0–3142 तथा पश्चिम बंगाल के कल्कत्ता गजट 3135 के क्रम सं0–57 में उल्लेखित है;	संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
03.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में सूंड़ी जाति के लोगों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है तथा यहाँ के ज्यादातर लोग मजदूरी तथा खेती कर अपने परिवार के साथ गुजर–बसर करते हैं, साथ ही झारखण्ड के छोटानागपुर एवं संथाल परगना में रहने वाले लोगों का रहन–सहन, शादी–ब्याह, भाषा एवं संस्कृति भी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के अनुरूप है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड की सूंड़ी जाति का संस्थान के द्वारा शोध दिसम्बर, 2004 में पूर्ण किया गया। शोध के निष्कर्ष के अनुसार सूंड़ी (मण्डल) जाति की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति अनुसूचित जाति की स्थिति से बेहतर है। सूंड़ी जाति के लोग कृषि, व्यापार, खरीद–बिक्री तथा छोटे व्यवसाय से अपना जीवन–यापन करते हैं, इनके रहन–सहन, शादी–ब्याह, भाषा एवं संस्कृति का पश्चिम बंगाल के सूंड़ी जाति से तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल के तर्ज पर झारखण्ड में सूंड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कल्याण विभाग के पत्रांक–1256, दिनांक–08.04.2006 के साथ संलग्न झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के प्रतिवेदन में भारत सरकार द्वारा निदेशित आधारभूत मापदंडों के अन्दर सूड़ी (मण्डल) जाति के लोगों में सामाजिक अस्पृश्यता का कलंक नहीं पाया गया। अतः इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा उनके द्वारा नहीं की गयी है। वर्तमान में सूड़ी जाति अत्यन्त पिछड़े वर्ग (अनुसूची 1) में सूचीबद्ध है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–22/2018 का0–5425/रांची, दिनांक 19.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–3066/वि0स0, दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(191)

माननीय स०वि०स० श्री साधु चरण महतो द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–10 का उत्तर।

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में ओ०बी०सी० कोटि के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है परन्तु झारखण्ड सरकार केवल 2 वर्षों की छूट देती है;</td><td>अन्य राज्यों एवं केन्द्र सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया में ओ०बी०सी० कोटि के लिए अधिकतम उम्रसीमा में छूट के संबंध में कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।
जहाँ तक झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा के निर्धारण का प्रश्न है, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–609 दिनांक–25.01.2016 के द्वारा दिनांक–01.01.2016 से 31.12.2020 तक के लिए झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा का निर्धारण निम्नरूपेण किया गया है:–
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>विकलांगों के लिए</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>अनारक्षित</td><td>– 35 वर्ष</td><td>– 40 वर्ष</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग</td><td>– 37 वर्ष</td><td>– 42 वर्ष</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)</td><td>– 38 वर्ष</td><td>– 43 वर्ष</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)</td><td>– 40 वर्ष</td><td>– 45 वर्ष</td></tr>
</table>
नोट:–भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में केन्द्र व अन्य राज्य सरकारों के अनुरूप ही ओ०बी०सी० कोटि के लोगों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–19/2018 का०–5388 /राँची, दिनांक– 18.7.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3103 दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 18/7/18

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(192)

माननीय स०वि०स० श्री आलोक कुमार चौरसिया द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–12 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा 05 नवम्बर, 2017 को हुई थी, तथा अभ्यार्थियों का काउंसिलिंग 12 नवम्बर, 2017 से 20 नवम्बर, 2017 तक सम्पन्न हुई;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि 35 से 48 अंक लाने वाले अभ्यार्थियों एवं 100 दैनिक भोगी कर्मचारियों की काउंसिलिंग के पश्चात् 132 अभ्यर्थियों की नियुक्त कर ली गई, शेष 267 पद रिक्त हैं;	स्वीकारात्मक। आरक्षण रोस्टर के अनुसार पलामू समाहरणालय अन्तर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति का 23 (तेईस) एवं अनारक्षित (विक्लांग) का 01 (एक) पद रिक्त है। आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लम्बित पड़े चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति अविलम्ब, करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15 / झा०वि०स०–15–21 / 2018 का०–5453 / राँची, दिनांक– 20.7.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3240 दिनांक–14.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/18

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

193

माननीय स०वि०स० श्री कुणाल षंडगी द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–03 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि घाटशिला अनुमण्डल के जनता द्वारा घाटशिला को जिला एवं बहरागोड़ा को अनुमण्डल बनाने की माँग वर्षों से की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला/अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त एवं संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति की बैठक में रखा जाता है एवं उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये जिले/अनुमण्डल के सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जाता है। बहरागोड़ा को अनुमण्डल बनाने से संबंधित उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अनुशंसा प्राप्त होने की स्थिति में बहरागोड़ा को अनुमण्डल का दर्जा देने के बिन्दु पर सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाना है। जबकि घाटशिला को जिला बनाने के संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान् वित्तीय वर्ष 2018–19 में घाटशिला को जिला एवं बहरागोड़ा को अनुमण्डल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–15/2018 का०–5389/राँची, दिनांक– 18.7.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3006 दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18
(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(194) दिनांक–21.07.2018 को श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–का–08

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के पेटरवार प्रखण्ड के दस पंचायत को मिलाकर चांदो प्रखण्ड निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों के नेतागण एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आंदोलनरत है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि चांदो को प्रखण्ड बनाने से प्रशासनिक काम–काज में सरलता एवं 1. चांदो 2. खेतको 3. मायापुर 4. अंगवाली उत्तरी 5. अंगवाली दक्षिणी 6. पिछरी उत्तरी 7. पिछरी दक्षिणी 8. चलकरी उत्तरी 9. चलकरी दक्षिणी एवं 10. चांपी के लोगो को पेटरवार प्रखण्ड आने–जाने में समय एवं आर्थिक परेशानी से निजात मिलेगी।	सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त 10 पंचायतों को मिला कर चांदो को नया प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक नही तो क्यों।	उपायुक्त बोकारो के पत्रांक–1100 दिनांक–16.07.2018 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सरकार के संकल्प संख्या–5495 दिनांक–16.10.2015 की कंडिका–1 (प्रखण्ड सृजन हेतु जनसंख्या कम से कम 1.25 लाख) एवं (कंडिका–2 पंचायतों की संख्या कम से कम 18 हो) के अनुसार चांदो प्रखण्ड सृजन की अर्हता नहीं रखता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–19/2018/ग्रा0वि0 2996 राँची, दिनांक– 17-7-18

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–3070 दिनांक–09.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–19/2018/ग्रा0वि0 2996 राँची, दिनांक– 17-7-18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–19/2018/ग्रा0वि0 2996 राँची, दिनांक– 17-7-18

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।

17/7/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–19/2018/ग्रा0वि0 2996 राँची, दिनांक– 17-7-18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को उनके पत्रांक–5139 (अनु0) दिनांक–11.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/18

सरकार के अवर सचिव।

(195)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या– योवि–01 का उत्तर

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है, कि 31 मार्च 2018 तक पालमू जिला का ऋण–जमा अनुपात 32.93 प्रतिशत है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाईड लाईन के आलोक में 27 प्रतिशत कम है;</td><td>अस्वीकारात्मक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 63वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में 31 मार्च 2018 तक पलामू जिला का ऋण–जमा अनुपात 79.27 प्रतिशत दर्शाया गया है ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि, वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत कृषि, माइक्रो इंटर प्राइजेज, शिक्षा, प्राथमिक व गैर प्राथमिक प्रक्षेत्रों में ऋण हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया है;</td><td>स्वीकारात्मक
बैंक द्वारा दिए गए ऑकड़ों के अनुसार कृषि, माइक्रो इंटर प्राइजेज, शिक्षा, प्राथमिक व गैर प्राथमिक प्रक्षेत्रों में ऋण हेतु निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि इस प्रकार है :–
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र0</th><th rowspan="2">योजना</th><th>लक्ष्य</th><th>उपलब्धि</th><th rowspan="2">उपलब्धि प्रतिशत</th></tr>
<tr><th>राशि (लाख में)</th><th>राशि (लाख में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कृषि</td><td>46435</td><td>15504</td><td>33.39%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>माइक्रो इंटर प्राइजेज</td><td>6710</td><td>6215</td><td>92.62%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>शिक्षा</td><td>2537</td><td>521</td><td>20.54%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्राथमिक</td><td>64386</td><td>37232</td><td>57.83%</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>गैर प्राथमिक प्रक्षेत्रों</td><td>26410</td><td>8077</td><td>30.58%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि पलामू जिले में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि के लिए कौन सी कारवाई करना चाहती है ?</td><td>DLCC की बैठक में कृषि ऋण, शिक्षा ऋण Priority Sector के अन्तर्गत आवश्यक ऋण में बढ़ोतरी लाने हेतु Monitorable Action Plan बनाकर लक्ष्य के अनुरूप बैंक शाखायों को हर माह समीक्षा बैठक करने तथा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, मुद्रा ऋण आदि लक्ष्य के अनुरूप बैंक शाखाओं को कैम्प लगाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निदेश दिया गया है ।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक:10 / वि0स0(4)18 / 2018:255 / राँची, दिनांक:20.07.2018 /

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 3071 / वि0स0 दिनांक 09.07.2018 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20.7.2018
(बी0 के0 सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

(196)

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वासदेव मंडल पिता–हुरो मंडल, ग्राम–जीतकुंडी, थाना–डुमरी, जिला–गिरिडीह की हत्या 14.04.2018 को 12.15 बजे भुरकुण्डो में हुई जिसे प्रभात खबर, धनबाद संस्करण में दिनांक–15.04.2018 को प्रकाशित किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित घटना की प्राथमिकी गिरिडीह जिला डुमरी थाना काण्ड संख्या–42/18, दिनांक–14.04.2018 को दर्ज हुई परन्तु अभी तक हत्यारों कि गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं की गई है ;	अस्वीकारात्मक। डुमरी थाना काण्ड सं०–42/18, दिनांक–14.04.2018 में तत्क्षण ही उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त–अबुल अंसारी, पिता–हाशिम अंसारी, सा०–जीतकुंडी (बरवाडीह) थाना–डुमरी, जिला–गिरिडीह की गिरफ्तारी की गयी है। प्राथमिकी के अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की गयी तथा फिरार की अवस्था में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, गिरिडीह के न्यायालय में दिनांक–12.06.2018 को वारंट हेतु आवेदन दिया गया तथा अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। अभियुक्तों के फ़िरार रहने की स्थिति में यथाशीघ्र कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हत्या में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–12/2018–3912../ राँची, दिनांक–19/07/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3008, दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

197

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत खेलारी प्रखण्ड के तुमांग पंचायत की दूरी खलारी थाना से 06 किलोमीटर है जबकि मैक्लुसकीगंज थाना से मात्र 03 किलोमीटर पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी अधिक रहने के कारण अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण ससमय नहीं हो पाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी अधिक रहने के कारण तुमांग पंचायत के लोगो को थाना पहुँचने में कठिनाई होती है, परन्तु उक्त क्षेत्र अंतर्गत अपराध नियंत्रण तथा सतत् निगरानी रखने का कार्य खलारी थाना के स्तर से किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तुमांग पंचायत को मैक्लुसकीगंज थाना में सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राँची जिला के तुमांग पंचायत को खलारी थाना के क्षेत्राधिकार से मुक्त करते हुए मैक्लुसकीगंज थाना के क्षेत्र से संबद्ध करने के संबंध में आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची से मंतव्य/अनुशंसा की मांग की गई है। अनुशंसा प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–20/2018–4056../ राँची, दिनांक– 19/07/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3009, दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

198

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस मैनुअल एवं सेवाशर्त्त के अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोन से किसी पुलिस पदाधिकारी का पदस्थापन एक स्थान पर तीन वर्षो से अधिक नहीं की जा सकती है ;	अस्वीकारात्मक। कार्यपालिका नियमावली के भाग–3, कंडिका–22 की उप कंडिका–5 की टिप्पणी सं०–III में उल्लेखित है कि प्रत्येक पदस्थापन की अवधि और स्थान साधारणतः तीन वर्षो की होगी। तीन वर्षो से अधिक अवधि तक एक स्थान पर पदस्थापन नहीं किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की बाध्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। जहाँ तक पुलिस निरीक्षक स्तर या उससे नीचे के पंक्ति के पदाधिकारी/कर्मी का प्रश्न है, तो विभाग द्वारा समय–समय पर इस बात की समीक्षा की जाती है कि किन पदाधिकारी/कर्मी का पदस्थापन अवधि पाँच वर्ष पूर्ण हो चुका है एवं तत्पश्चात् गुण दोष के आधार पर उनका स्थानान्तरण किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद पुलिस उपाधीक्षक विगत पाँच वर्षो से पदस्थापित है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थित यह है कि धनबाद में पदस्थापित 04 (चार) पुलिस उपाधीक्षकों में से किन्ही के पदस्थापन की अवधि 05 (पाँच) वर्ष पूरी नही हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुलिस उपाधीक्षक, धनबाद का स्थानान्तरण अन्यत्र करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त उत्तर कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8003/2018–4108/ राँची, दिनांक– 20/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3239, दिनांक–14.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

199

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत गोविन्दपुर थाना के गोविन्दपुर चौराहा मोड़, निरसा थाना के मुगमा बाईपास मोड़ तथा चिरकुण्डा थाना के बी०एस०के० कॉलेज मोड़ (संजय चौक) एवं कुमार धुबी मोड़ यातायात के दृष्टिकोण से अत्यंत ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित क्षेत्रों में समुचित रूप से **Traffic Police** की व्यवस्था नहीं रहने के कारण दुर्घटनाये होती रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। यातायात पुलिस की व्यवस्था पूर्व से ही है। वर्त्तमान में अंकित स्थानों पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में **Traffic Police** की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति वर्णित स्थलों पर यातायात पुलिस की व्यवस्था की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–19 / 2018– 4113 / राँची, दिनांक– 20/07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3010, दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

200

माननीय स0वि0स0, श्री रामकुमार पाहन द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला में कुल 50 प्रतिशत आरक्षण में पिछड़ी जातियों को मात्र 2 प्रतिशत, एस0सी0 को 5 प्रतिशत एवं एस0टी0 को 43 प्रतिशत आरक्षण का लाभ वर्त्तमान में दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है, कि राँची जिलान्तर्गत कुर्मी जाति एवं पिछड़ी जातियों की संख्या लगभग 27 प्रतिशत रहने के बावजूद इन्हें जिला आरक्षण में 2 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
02.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुल 50 प्रतिशत आरक्षण में बढोतरी कर 60 प्रतिशत कर राँची जिला में निवासित कुर्मी एवं अन्य पिछड़ी जातियों को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	जिला स्तर पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित कोटि की रिक्तियों को विभिन्न कोटियों मे विभाजित करने हेतु अविभाजित बिहार में लागू व्यवस्था के अनुरूप सर्वप्रथम अनुसूचित जाति को 1991 की जनगणना के अनुसार जिलावार जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण उपलब्ध कराया जाना है, उसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति को 1991 की जिलावार जनगणना के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जाना है। अगर दोनों को मिलाकर 50 प्रतिशत से संख्या बढ़ जाती है तो आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध कराने के बाद 50 प्रतिशत में से संख्या उपलब्ध होती है तो वह शेष प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को मिलाकर एक कोटि मानकर) उपलब्ध कराये जाने का निर्णय संकल्प सं0–5795, दिनांक–10.10.2002 में लिया गया है। संकल्प सं0–5795, दिनांक–10.10.2002 के अनुसार राँची जिला के जिला स्तरीय पदों में अनुसूचित जाति 5%, अनुसूचित जनजाति हेतु 43% तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग हेतु समेकित रूप से 2% आरक्षण निर्धारित था। खूँटी नया जिला बनने के बाद संकल्प सं0–2020, दिनांक–09.04.2010 के द्वारा राँची जिला के लिए अनुसूचित जाति हेतु 5%, अनुसूचित जनजाति हेतु 37%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु 5% तथा पिछड़ा वर्ग हेतु 3% आरक्षण निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–23/2018 का0–5397/रांची, दिनांक 19.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–3069/वि0स0, दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/2018

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(201)

2045
18/07/2018

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–योवि–02

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सरकारी मदरसों के सेवानिवृत शिक्षकों को पेंशन देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जबकि मिशनरी विद्यालयों (अल्पसंख्यक) के सेवानिवृति शिक्षकों को पेंशन दिया जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्वीकृति प्राप्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा 'बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981' के तहत् संचालित है एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय 'बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबन्ध एवं नियंत्रण–ग्रहण) अधिनियम –1981' के तहत् अच्छादित है। दोनों में कोई समानता नहीं है। गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबन्ध एवं नियंत्रण–ग्रहण) अधिनियम–1981 के तहत बिहार राज्य के समय से ही इन्हें सरकारी कर्मियों की भांति पेंशन सहित सारी सुविधाऐं दी जा रही है। मदरसा कर्मियों को बिहार राज्य में कभी भी पेंशन की सुविधा नहीं दी गयी है। शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–593 दिनांक 08.05.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि अद्यतन भी उन्हें पेंशनादि की सुविधा बिहार सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मदरसा कर्मियों को वर्ष 2014 में पहली बार पेंशनादि की सुविधा प्रदान करने के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 2020 दिनांक 24.10.2014 निर्गत किया गया। जबकि राज्य सरकार द्वारा 2004 के बाद से नियुक्त राज्य कर्मियों को पेंशन की सुविधा नहीं देने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश का अनुपालन विभिन्न कारणों के क्रम में नहीं किया जा सका था। विभागीय संकल्प संख्या 2020 दिनांक 24.10.2014 निर्णय पर वित्त विभाग तथा महालेखाकार, राँची द्वारा कतिपय विचारणीय बिन्दुओं पर झारखण्ड पेंशन नियमावली इत्यादि के क्रम में अर्हता इत्यादि पर प्रश्न उठाया गया। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में भी डब्लू0पी0एस0 नं–100/2016 मोहम्मद इजराइल बनाम राज्य सरकार दायर किया गया है। दर्ज आपत्ति तथा माननीय न्यायालय में दायर याचिका के आलोक में मामले की

		पुनः समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त मदरसा कर्मियों को गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की तरह पेंशनादि की सुविधा स्थापित मानकों के क्रम में निर्धारित अर्हता के विषयों की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई। संबंधित समिति की अनुशंसा के क्रम में विहित प्रक्रिया के आलोक में मंत्रिपरिषद् के निर्णय के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या–1773 दिनांक 21.06.2018 निर्गत किया गया।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मदरसों के सेवानिवृत शिक्षकों को अन्य अल्पसंख्यक विद्यालयों के सेवानिवृत शिक्षकों की भाँति पुनः पेंशन लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

18/7/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)-87 / 2018 2045 राँची, दिनांक 18/07/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 3208 दिनांक 12.07.2018 के संदर्भ में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18
सरकार के अवर सचिव।

(202)

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या–का०–02, प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स०	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में अल्पसंख्यक (मुस्लिम) के बहुत सारे लोगों के खतियान में जाति के स्थान पर मुस्लिम लिखा होने के कारण उनलोगो का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है।	अस्वीकारात्मक। वैसे मामले में जिसमें खतियान में जाति दर्ज नहीं है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक–6763, दिनांक–05.08.2016 के आलोक में स्थानीय जाँच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में जाँच कर उन अल्पसंख्यक (मुस्लिम) खतियान में जाति सुधार कर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका –1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। खतियान का अंतिम प्रकाशन वर्ष–1964 में हुआ है। इतनी लम्बी अवधि के बाद अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान में सुधार का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–02 / भू०अ०प०नि० (तारां०)–30 / 2018 372 / नि०रा०, राँची, दिनांक– 19.07.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–3007 / वि०स०, दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

अवर सचिव–सह–सहायक निदेशक।

(203)

दिनांक 21.07.2018 को श्रीमती विमला प्रधान, स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न संख्या–म0–01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा मुख्यमंत्री/ पूर्व मुख्यमंत्री/ मंत्रीगण के आप्त सचिव को 7वें वेतनमान के आलोक में वेतन दिये जाने का निर्णय हुआ है,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पूर्व में जो वेतन मंत्री के आप्त सचिव को मिलता रहा है उसी के अनुरूप मुख्य सचेतक/ सचेतक के आप्त सचिव को भी मिलता रहा है ?	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में मुख्य सचेतक/ सचेतक के आप्त सचिव को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है ?	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्य सचेतक/ सचेतक के आप्त सचिव को 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन देना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	मुख्य सचेतक/ सचेतक के आप्त सचिव को 7वें वेतनमान के अनुरूप वेतन देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

ज्ञापांक – म0म0स0–05/ता०प्र०–27/2018 847/ रांची, दिनांक– 19 जुलाई, 2018 ई0।

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय /अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक–3102, दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/07/18
(जितबाहन उरांव)
विशेष कार्य पदाधिकारी

204

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– 06 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के विभागीय पत्रांक– 4182 दिनांक 08.05.14, 11.354, दिनांक 28.11. 2014, 10514, दिनांक 11.12.2015 एवं 6136, दिनांक 18.07.2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्रथम उप समाहर्त्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा शीघ्र आयोजित करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी गई है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक– 1555 दिनांक 18.06.2005 द्वारा प्रथम झारखण्ड प्रशासनिक सेवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है। विभागीय पत्रांक– 4182 दिनांक 08.05.2014, पत्रांक– 11354 दिनांक 28.11.2014, पत्रांक– 10514 दिनांक 11.12.2015 एवं पत्रांक– 6136 दिनांक 18.07.2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता परीक्षा का शीघ्र आयोजन कर अनुशंसा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रथम उप समाहर्त्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 2006 के रद्द होने के पश्चात् कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु भेजे गये अनुशंसा पत्रों पर आयोग द्वारा कार्रवाई अभी तक लंबित है ?	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रथम उप समाहर्त्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?	स्वीकारात्मक है, उक्त परीक्षा आयोजन से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 4 / विधानसभा–08–01 / 2018 का॰ 5379 / राँची, दिनांक 18 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 3067 वि.स. दिनांक 09.07.2018 के प्रसंग में 125 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच0 के0 सुधाँशु)
सरकार के अवर सचिव।

205

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चन्दवा प्रखण्ड अंतर्गत निंदरा ग्राम राँची जिला के सीमा पर स्थित है तथा चन्दवा थाना से 20 कि०मी० दूरी पर है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चन्दवा थाना से काफी दूरी होने के कारण उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है तथा निंदरा ग्राम के आस–पास जंगल में उग्रवादी कहीं भी घटना को अंजाम देकर उसी क्षेत्र में छुपे रहते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह बात सही है कि निंदरा ग्राम चंदवा थाना से 20 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, परन्तु मैक्लुस्कीगंज थाना से इसकी दूरी करीब 06–07 कि०मी० है। मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में एस०एस०बी० की एक कम्पनी स्थित है जो उग्रवादियों के विरूद्ध लागातार अभियान में लगी रहती है। इसके अलावे उग्रवादी गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर लातेहार जिला पुलिस एवं राँची जिला पुलिस के द्वारा निरंतर संयुक्त अभियान चलाकर इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। पूर्व में निंदरा ग्राम के आस–पास के जंगलों में उग्रवादी लगातार रहा करते थे, परन्तु वर्तमान में लातेहार जिला पुलिस एवं राँची जिला पुलिस के संयुक्त अभियानों के कारण उग्रवादी इस क्षेत्र को छोड़ चुके हैं। उग्रवादियों की जब कभी इस क्षेत्र में आने की सूचना प्राप्त होती है तो विशेष अभियान चलाया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि निंदरा ग्राम में पुलिस पिकेट होने से उग्रवादी गतिविधियों में कमी आयेगी ;	कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में निन्द्रा ग्राम में पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति लातेहार जिला के निन्द्रा ग्राम में पुलिस पिकेट स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–18 / 2018–1055 / राँची, दिनांक–19 /07/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3011, दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

206

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–10 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी एवं अनाज सम्पति जल कर नष्ट हो जाने एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश से ग्रामीणों की अकाल मृत्यु हो जाने से उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्पदंश से मृत्यु और आगजनी को आपदा प्रबंधन की सूची में शामिल करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	• गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 12 प्राकृतिक आपदाओं में **Fire (आग)** शामिल है। • वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटनादेश सं०–07(आ०), दिनांक–24.04.2018 द्वारा प्राकृतिक आपदा आग से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्निर्माण हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से प्रति जिला को 8.00 लाख रूपये की दर से कुल–1,92,00,000/– रूपये मात्र का अग्रिम आवंटन प्रदान किया गया है। • गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 12 प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य स्तर पर अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक आपदा की सूची में सर्पदंश शामिल नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–19/2018..–684/आ०प्र०, राँची, दिनांक–20/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–3100, दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव कोषांग/श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/18
सरकार के विशेष सचिव

217

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.07.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–07 का उत्तर ।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि विगत 10 मई, 2018 को हुए ओलावृष्टि से खरसावाँ प्रखण्ड अंतर्गत जोरडीह एवं कृष्णापुर पंचायत के कृष्णापुर, पोटोबेड़ा, गोपालपुर, पुचूडंगरी, बालियाटांड, जोरडीहा, उधड़िया आदि गांवों में सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला प्रशासन द्वारा इस आपदा से हुए नुकसान का आकलन वरीय पदाधिकारियों से कराया गया है, परन्तु अब तक किसी प्रकार की सहायता/मुआवजा नहीं दी गयी है ;	उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के प्रतिवेदनानुसार अब तक के आकलन के आधार पर 253 प्रभावित परिवारों को आपदा राहत में कुल रू० 8,09,600/– (आठ लाख नौ हजार छः सौ) रूपये का भुगतान कर दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों (छुटे हुए) को मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में उल्लेखित।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–17/2018–686./आ०प्र०, राँची, दिनांक–20/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–3064, दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/07/18
सरकार के विशेष सचिव